

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर  
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक / परीक्षा / 2020 / 754

जबलपुर, दिनांक: 24/8/2020

सूचना

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक 770/2020/38-3, भोपाल दिनांक 13.08.2020 के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुये सत्र 2019-20 की परीक्षा व्यवस्थाओं में संशोधन किया गया है। तदनुसार समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों की कक्षाओं के केवल अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षाएँ ओपन बुक सिस्टम के निकट भविष्य में आयोजित की जायेगी। अन्य कक्षाओं के परीक्षा परिणाम भी विषय व्यवस्था अनुसार जारी किये जायेंगे।

समस्त विद्यार्थी शासन के उक्त आदेशों का अध्ययन कर लें तथा परीक्षा हेतु आवश्यक तैयारियाँ निर्देशानुसार सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा संबंधी समय सारिणी तथा विस्तृत निर्देश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे।

उक्त के संबंध में समस्त आवश्यक अधिसूचनायें एवं निर्देश रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट [www.rdunijbpin.org](http://www.rdunijbpin.org) पर समय-समय पर जारी किये जायेंगे। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विद्यार्थी अनाधिकृत सूचनाओं के कारण परीक्षा के आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर भ्रमित हो रहे हैं। अतः समस्त परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट [www.rdunijbpin.org](http://www.rdunijbpin.org) का अवलोकन करते रहें तथा केवल विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिकृत सूचनाओं एवं निर्देशों पर ही ध्यान दें।

परीक्षा संबंधी कार्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार कंट्रोल रूम का गठन किया गया है जिनसे संपर्क स्थापित कर परीक्षार्थी अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकेंगे।

- |                                    |   |                                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1. श्री अभयकान्त मिश्रा            | — | मोबाइल नं. — 9425308802          |
| सहायक कुलसचिव— कंट्रोल रूम प्रभारी |   | दूरभाष नं. — 0761-4042868        |
| 2. ऑनलाईन सेल, कला भवन             | — | दूरभाष नं. — 0761-4070024        |
| 3. संपर्क करने का समय              | — | प्रातः 11:00 से सांय 5:00 बजे तक |

आदेशानुसार,

प्रभारी कुलसचिव  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक: 24/8/2020

पृ.क्र/परीक्षा/2020/754 'क'

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, शिक्षण विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त छात्र-छात्राओं की ओर सूचनार्थ।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र की ओर सूचना पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा  
वल्लभ भवन, मंत्रालय-462004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक- 13/08/2020.

क्रमांक- एफ ~~777~~ /2020/38-3 :: कोरोना (कोविड-19) के परिप्रेक्ष्य में छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देश दिनांक 29/04/2020 तथा 08/07/2020 एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08/07/2020 को जारी मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में सत्र 2019-20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं -


1. स्नातक प्रथम वर्ष (नियमित) के लिए निर्देश : स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों को आधार अंक मानते हुए 100 प्रतिशत मूल्यांकन अंक प्रदान किया जाए। आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में ही संधारित की जाएंगी।

2. स्नातक प्रथम वर्ष (स्वाध्यायी) के लिए निर्देश : स्नातक प्रथम वर्ष के समस्त स्वाध्यायी (प्रायवेट) परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों की तरह आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए बिन्दु क्रमांक-04 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3. स्नातक द्वितीय वर्ष (नियमित)/स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर (नियमित) के लिए निर्देश : स्नातक द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए गत वर्ष/सेमेस्टर के विषयवार एवं प्रश्नपत्रवार प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत जोड़कर उसे वर्तमान सत्र का प्राप्तांक मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए आगामी वर्ष/ सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाए।

4. स्नातक द्वितीय वर्ष (स्वाध्यायी)/स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर (स्वाध्यायी) के लिए निर्देश : प्रदेश में महाविद्यालयवार स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए नियमित परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की ही तरह असाइनमेन्ट प्राप्त कर, मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।

1. असाइनमेन्ट के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण एवं प्रेषण : स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए अप्रेषण केन्द्र के संबंधित विषय के शिक्षक द्वारा असाइनमेन्ट के लिए प्रश्न का चयन कर महाविद्यालयों के पोर्टल पर कक्षावार, विषयवार एवं प्रश्नपत्रवार अपलोड किया जाए। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को स्मार्ट फोन/ ई-मेल पर प्रश्न पत्र भेजना भी सुनिश्चित किया जाए।




इस आशय की सूचना समस्त संबंधित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को पंजीकृत मोबाइल/ई-मेल आईडी पर प्रेषित की जाए। संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही महाविद्यालय के प्राचार्य की मॉनिटरिंग/निगरानी में सुनिश्चित की जाए।

- ii. **असाइनमेन्ट जमा करना** : स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थी निकट के किसी भी उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र में असाइनमेंट जमा कर सकेंगे। असाइनमेन्ट जमा करने के लिए विश्वविद्यालयवार समय-सारणी जारी की जाएगी। ओपन बुक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जमा करने के साथ ही असाइनमेन्ट जमा करने की समय-सारणी घोषित की जाए।
- iii. **मूल्यांकन पद्धति** : अग्रणी महाविद्यालय में एकत्रित असाइनमेन्ट अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य की निगरानी में अग्रेषण केन्द्रवार बन्डल बनाकर संबंधित अग्रेषण केन्द्र को प्रेषित किये जाएंगे। संबंधित अग्रेषण केन्द्र के प्राचार्य विषय के शिक्षक से मूल्यांकन कराकर प्राप्तांक ऑनलाइन संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। यह सम्पूर्ण कार्यवाही प्राचार्य, अग्रेषण केन्द्र की मॉनिटरिंग/ निगरानी में पूर्ण की जाए।
- iv. **परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति** : विश्वविद्यालयवार असाइनमेन्ट के प्राप्तांकों को मूल्यांकन अंक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के गत वर्ष के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा वर्तमान असाइनमेन्ट का 50 प्रतिशत जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।
- v. **असाइनमेन्ट का संधारण** : स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के असाइनमेन्ट का संधारण मूल्यांकन उपरांत विश्वविद्यालय के नियमानुसार अग्रेषण केन्द्र में किया जाएगा।

5. **स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर (नियमित तथा स्वाध्यायी) के लिए निर्देश** : समस्त विश्वविद्यालयों एवं क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों में स्नातक तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर (नियमित तथा स्वाध्यायी) की **शेष रह गई परीक्षाएं** आयोजित की जायेंगी। संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त लॉगिन बेस्ड एस.आई.एस. (Student Info System)/निर्धारित बेवसाईट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। परीक्षार्थी अपने निवास से ही खुली किताब (Open Book) परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तर पुस्तिका लिख सकेंगे।

- i. **प्रश्न पत्र निर्माण के लिए निर्देश** : समस्त विश्वविद्यालय निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों के लिए माह अगस्त 2020 में शेष रह गई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र नए सिरे से तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। स्नातक अंतिम वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए एक ही प्रश्न पत्र तैयार करवाए जाए। (उदाहरणार्थ – रसायन शास्त्र विषय के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र तीन खण्डों में एक साथ तैयार किये जाएंगे)
- ii. **परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र का प्रेषण** : विश्वविद्यालयवार स्नातक अंतिम वर्ष /स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए घोषित समय सारणी अनुसार परीक्षार्थियों को



एस.आई.एस लॉगिन आईडी एवं निर्धारित वेबसाइट पर समस्त विषयों के प्रश्नपत्र एक साथ अपलोड किए जाएंगे।

- iii. **उत्तर पुस्तिका जमा करने के निर्देश :** विश्वविद्यालय द्वारा घोषित समय सारणी अनुसार ओपन बुक परीक्षा की समस्त विषयों के सभी प्रश्न पत्रों की लिखित उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षार्थी अपने निवास के निकट के संग्रहण केन्द्र में एक साथ जमा करेंगे अथवा डाक द्वारा जिले के अग्रणी प्राचार्य के कार्यालय के पते पर भेजेंगे। डाक द्वारा प्रेषित उत्तर पुस्तिका निर्धारित तिथि/अवधि के पश्चात् प्राप्त होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
- iv. **उत्तर पुस्तिका के संबंध में निर्देश :** परीक्षार्थी स्वयं के पास उपलब्ध रजिस्टर के कागज/ए-4 आकार के कागज की उत्तर पुस्तिका बना कर उत्तर लिखेंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी स्वयं का रोल नंबर/नामांकन क्रमांक/महाविद्यालय का नाम/विश्वविद्यालय का नाम तथा पूर्व घोषित परीक्षा केन्द्र का नाम/विषय/प्रश्न पत्र का शीर्षक/उत्तर पुस्तिका के हस्तलिखित पृष्ठों की संख्या अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे। परीक्षार्थी उत्तर लिखने के लिए नीले/काले बॉल पेन का ही उपयोग करेंगे। परीक्षार्थियों को ओपन बुक परीक्षा में समस्त विषयों की प्रश्नपत्रवार पृथक-पृथक उत्तर पुस्तिका लिखना अनिवार्य होगा।
- v. **उत्तर पुस्तिका का संग्रहण तथा प्रेषण :** प्रदेश में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल/शासकीय हाई स्कूल/शासकीय महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों को उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्र बनाया जाएगा। संबंधित विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य अपने क्षेत्राधिकार के उत्तर पुस्तिका संग्रहण केन्द्रों से सील्ड उत्तर पुस्तिका के पैकेट एकत्रित कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक अग्रणी महाविद्यालय द्वारा लिखित उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण हेतु रूट चार्ट तैयार जाएगा।
6. **एटीकेटी/एक्स परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :** स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जिनकी प्रथम/द्वितीय/तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी है, उनकी ए.टी.के.टी की परीक्षाएं तथा स्नातक स्तर पर एक्स परीक्षार्थियों की परीक्षाएं भी स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही आयोजित की जाएंगी।
7. **प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्देश :** स्नातक प्रथम, द्वितीय, तथा अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर के समस्त परीक्षार्थियों (नियमित/स्वाध्यायी) के प्रायोगिक विषयों के प्राप्तांक संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेशनल प्राप्तांकों के आधार पर ही 100 प्रतिशत गुणानुकृत (Multiplication) करते हुए प्रदान किये जायेंगे।



8. स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश :

- i. विश्वविद्यालयवार मूल्यांकन : विश्वविद्यालयवार उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कराकर निर्धारित पद्धति से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।
- ii. स्नातक अंतिम वर्ष के लिए मूल्यांकन पद्धति :

अ— स्नातक अंतिम वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा आयोजित ना होने की स्थिति में : परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा के सभी विषयों के प्राप्तांकों के प्रश्नपत्रवार 25-25 प्रतिशत अंक स्वीकार करते हुए स्नातक अंतिम वर्ष के लिए ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत अंकों को जोड़कर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। (परिशिष्ट— एक परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु गणना का प्रारूप)

ब – स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के दोनों/तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षा सम्पन्न होने की स्थिति में : स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के दोनों/तीनों प्रश्न पत्र की परीक्षा सम्पन्न हो चुकी हो तो उन विषयों के प्रश्नपत्रों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर अंक यथावत मान्य किया जाए। शेष रह गए विषय के दोनों/तीनों प्रश्न पत्र की ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत अंकों में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा के उसी विषय के प्राप्तांकों के प्रश्नपत्रवार 25-25 प्रतिशत अंक जोड़कर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।

स – स्नातक अंतिम वर्ष के किसी विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष होने की स्थिति में : यदि किसी विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा शेष है तो ऐसे स्थिति में जिस प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है उसका मूल्यांकन कर अंक यथावत मान्य किया जाए। उसी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र की ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों के 50 प्रतिशत अंकों में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा के उसी प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के 25-25 प्रतिशत अंक जोड़कर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। (परिशिष्ट— दो परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु गणना का प्रारूप)

9. स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति : स्नातकोत्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत प्रश्नपत्रवार 50 प्रतिशत अंक स्वीकार करते हुए स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ओपन बुक पद्धति से आयोजित परीक्षा के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत अंक जोड़कर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। (परिशिष्ट— तीन परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु गणना का प्रारूप)



10. परीक्षा संचालन व्यवस्था : स्नातक अंतिम वर्ष/स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से विश्वविद्यालयवार परीक्षा का आयोजन सितम्बर, 2020 तक सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. परीक्षा परिणाम की घोषणा : स्नातक प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर में परीक्षा परिणाम अक्टूबर, 2020 के अंत तक अनिवार्य रूप से घोषित किए जायेंगे।
12. ओपन बुक परीक्षा का द्वितीय अवसर : किसी कारणवश परीक्षार्थी घोषित समय-सारणी अनुसार प्रस्तावित ओपन बुक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उसे नवंबर, 2020 में आयोजित विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने का द्वितीय अवसर प्रदान किया जाएगा।
13. परीक्षा आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क के संबंध में निर्देश : सत्र 2019-20 की परीक्षाओं एवं परीक्षा परिणाम के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालय/दूरस्थ विश्वविद्यालय एवं अन्य समस्त विश्वविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर तथा अन्य समस्त संबंधित पाठ्यक्रमों के नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालयीन परीक्षा शुल्क एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षा फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। जिन परीक्षार्थियों ने पूर्व में ही परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें पृथक से किसी प्रकार का शुल्क जमा नहीं करना होगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये जाएंगे।
14. एस.आई.एस (Student info System) के संबंध में निर्देश : प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित ऐजेन्सी के माध्यम से परीक्षार्थियों को पूर्व से ही एस.आई.एस. की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालयवार प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के लॉगिन आई.डी बेस्ड एस.आई.एस पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया/शर्तें/गोपनीयता वित्तीय भार आदि की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा ओपन बुक परीक्षा आरंभ होने के पूर्व निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. टेबुलेशन सीट के लिए निर्देश : समस्त संबंधित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा उक्त निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए टी.आर. (टेबुलेशन/सीट) बनाने के पश्चात ही अंकसूची जारी की जाए। समस्त नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को अंकसूची पूर्व वर्षों के प्रारूप अनुसार ही जारी की जाएगी।
16. पूर्व परीक्षाओं के सम्बन्ध में निर्देश : सत्र 2019-20 के लिए स्नातक अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं मार्च, 2020 में सम्पन्न हो चुकी हैं, उनका मूल्यांकन कर प्राप्तांक यथावत मान्य किया जाए।
17. विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संबंध में लिया गया निर्णय : राज्य शासन द्वारा कोरोना (कोविड-19) के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2019-20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में लिया गया यह निर्णय प्रदेश के समस्त




शासकीय विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/दूरवर्ती विश्वविद्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/निजी अशासकीय महाविद्यालय/स्वाशासी महाविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों पर लागू होगा।

18. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त विश्वविद्यालय छात्र संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र (UTD) के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाईन परीक्षा कराए जाने के संबंध में यथोचित निर्णय ले सकेगा।

कोरोना (कोविड-19) संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली तथा राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के लिए जारी दिशा निर्देशों के आधार पर आयोजित परीक्षा संचालन व्यवस्था तथा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की यह व्यवस्था मात्र सत्र 2019-20 के लिए ही मान्य होगी। अन्य वर्षों के लिए इसे उदाहरण नहीं माना जाएगा।

संलग्न :- परिशिष्ट - एक, दो एवं तीन।

  
(वीरन सिंह भलावी)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक 13 / 08 / 2020

पृ0क्रमांक-एफ 77/ 8 / 2020 / 38-B  
प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव के स्टाफ आफीसर, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
6. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. निज सहायक, कुलपति, समस्त पारंपरिक एवं निजी विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
10. कुलसचिव, समस्त पारंपरिक/निजी/दूरस्थ विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य, समस्त शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र।
12. वि.क.अ. आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अवर सचिव